सं0सं0–7 / यक्ष्मा–3–01 / 2012– 2710

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना ।

पटना, दिनांक : 22 – 6–2012

विषयः– मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0001–यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड– N2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में (21–02) दवा भंडार तथा (21–03) आहार / पथ्य ईकाईयों में कुल ₹ 4,00,000 / –(चार लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष / उपशीर्ष / विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या–18(7)ब दिनांक– 24.04.12 एवं प्राप्त मांग पत्र के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में (21–02) दवा भंडार तथा (21–03) आहार / पथ्य ईकाईयों में कुल ₹ 4,00,000 / –(चार लाख) मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

4. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0001–यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड– N2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख,स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग / स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

22/6/2012

9. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

10. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ अगले माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

11. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

22/6/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2737 पटना, दिनांक : 22-6-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

22/6/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित यक्ष्मा उपशीर्ष का दवा भंडार एवं आहार/पथ्य मदों के लिए आवंटन

क्रम	जिला/ संस्थान का नाम	दवा भंडार (21–02)	आहार/पथ्य (21–03)	कुल	अभ्युक्ति पत्रांक/दिनांक
1	2	3	4	5	6
2	निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	200000	200000	400000	361/11.5.12
	कुल योगः–	200000	200000	400000	

(चार लाख रू0 मात्र)

22/6/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	208282000	171100000	0	171100000	37182000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	114555000	87261000	0	87261000	27294000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	31242000	25665000	0	25665000	5577000
4	परिवहन भत्ता (01–05)	1689000	600000	0	600000	1089000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	2585000	2053200	0	2053200	531800
6	अन्य भत्ता (01–07)	2546000	2053200	0	2053200	492800
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**360899000**	**288732400**	**0**	**288732400**	**72166600**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	1000000	0	0	0	1000000
8	यात्रा व्यय (11–01)	800000	400000	0	400000	400000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	400000	200000	0	200000	200000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	500000	250000	0	250000	250000
11	दूरभाष (13–03)	200000	100000	0	100000	100000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	5000000	2500000	0	2500000	2500000
13	विधि प्रभार (13–05)	1000000	380000	0	380000	620000
14	वर्दी/ पोषाक (13–06)	400000	157000	0	157000	243000
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	200000	80000	0	80000	120000
16	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	1200000	600000	0	600000	600000
17	दवा भंडार (21–02)	600000	0	200000	200000	400000
18	आहार/ पथ्य (21–03)	600000	0	200000	200000	400000
19	लधु कार्य (27–01)	1000	0	0	0	1000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	1000	0	0	0	1000
21	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	600000	300000	0	300000	300000
	कुल योगः–	**373401000**	**293699400**	**400000**	**294099400**	**79301600**

22/6/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

27(7)a
22-6-12